

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/710/ वाणिज्य कर दिनांक 26.10.2016, पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/855/ वाणिज्य कर दिनांक 01.12.2016, पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/1205/1617065 वाणिज्य कर दिनांक 23.02.2017, पत्रांक : आई0टी0/ जी0एस0टी0 डाटा माइग्रेशन/ (2017-2018)/184/1718006 वाणिज्य कर दिनांक 09.05.2017 तथा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। GST व्यवस्था का क्रियान्वयन प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से प्रस्तावित है। विभाग द्वारा पंजीकृत समस्त व्यापारियों को जी0एस0टी0 में enrolment कराने का कार्य किया जा रहा है। GST व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभाग में पंजीकृत समस्त Active व्यापारियों को GSTN में enrolment की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।


2- ऐसे सभी पंजीकृत व्यापारी जिनका Provisional ID तथा Password GSTN से प्राप्त नहीं हुआ है उनका डाटा GSTN को विलम्बतम दिनांक 20.05.2017 तक प्रेषित किया जाना है तथा Provisional ID व Password जनरेट किये जाने हेतु यह अन्तिम अवसर है। अतः ऐसे व्यापारी जिनका PAN अपडेट नहीं है उनका PAN दिनांक 20.05.2017 तक update करना सुनिश्चित करें। यदि व्यापारी द्वारा दिनांक 20.05.2017 तक PAN update कराने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो ऐसे व्यापारियों के TIN को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। खण्डाधिकारी के Login पर कार्यवाही हेतु सूचियाँ उपलब्ध है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1- जिन व्यापारियों के PAN update नहीं है उनकी सूची खण्डाधिकारियों के Login पर VYAS Central में 'Registration Menu' के अन्तर्गत 'eyeball checking as per NSDL PAN data' पर उपलब्ध है।

2- जिन व्यापारियों के PAN eyeball checking हेतु लम्बित है उनकी सूची खण्डाधिकारियों के Login पर VYAS Central में 'Registration Menu' के अन्तर्गत 'eyeball checking as per NSDL PAN data' पर उपलब्ध है।

3- एक ही PAN पर एक से अधिक TIN प्राप्त करने वाले व्यापारियों की सूची खण्डाधिकारियों के Login पर VYAS Central में 'Registration Menu' के अन्तर्गत 'GSTN data verification' पर उपलब्ध है। इनमें से ऐसे व्यापारी जिनके PAN अपडेट नहीं है उनके PAN अपडेट किये जाये। समस्त खण्डाधिकारियों द्वारा यह कार्यवाही विलम्बतम दिनांक 20.05.2017 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें क्योंकि GSTN द्वारा दिनांक 20.05.2017 के उपरान्त Provisional ID जनरेट किये जाने हेतु कोई डाटा प्राप्त नहीं किया जायेगा। किसी भी खण्ड में यदि किसी Active Dealer को Provisional ID प्राप्त नहीं होता है तो यह खंड के सम्बन्धित अधिकारी का ही उत्तरदायित्व होगा। अपने खंड के किसी भी व्यापारी का Provisional ID का Status विभागीय वेबसाइट पर comtax.up.nic.in पर Dealer Search के अन्तर्गत Check किया जा सकता है तथा विसंगति पाये जाने पर ई मेल आई0डी0 ctithqlu-up@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/आई0टी0)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।